अखिल भारत हिन्दू महासभा

भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा पंजीकृत राजनैतिक दल
निर्वाचन सदन, अशोक रोड़, नई दिल्ली–110001

1860 के विधेयक 21 के तहत

संविधान

लक्ष्य, उद्देश्य एवं नियम

(केन्द्रीय महासमिति व केन्द्रीय कार्यसमिति की 5 सितम्बर 2021 को हरिद्वार, उत्तराखंड में हुई बैठक में किये गये संशोधन के अनुसार)

केन्द्रीय कार्यालय
हिन्दू महासभा भवन, मन्दिर मार्ग, नई दिल्ली–110001
दूरभाष : 011–23365138, 23365354
E-mail : akhilbharathindumahasabhadelhi@gmail.com
Website : www.akhilbharathindumahasabha.net

ॐ

अखिल भारत हिन्दू महासभा

भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा पंजीकृत राजनीतिक दल

उद्देश्य, लक्ष्य तथा नियमोपनियम

1. नाम

इस संस्था का नाम अखिल भारत हिन्दू महासभा होगा।

2. कार्यक्षेत्र

हिन्दू महासभा का कार्यक्षेत्र उस समस्त भारत–भूखण्ड तक विस्तृत होगा जैसा कि यह 14 अगस्त 1947 से पूर्व था।

3. लक्ष्य

हिन्दू महासभा का लक्ष्य भारत में हिन्दूराष्ट्र की संस्कृति एवं परंपराओं पर आधारित वास्तविक जनतंत्रात्मक हिन्दू राज्य की स्थापना करना है।

3.(क) अखिल भारत हिन्दू महासभा विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति निष्ठा एवं आस्था रखती है। समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता तथा प्रजातंत्र में विश्वास रखती है और भारत की एकता एवं अखण्डता को बनाए रखने के लिये वचनबद्ध है।

4. उद्देश्य

हिन्दू महासभा के निम्न उद्देश्य हैं

(क) हर प्रकार की विषमताओं एवं अयोग्ताओं को दूर करके एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना, जिसमें समस्त राष्ट्रीय घटक राष्ट्र की सेवा के लिये समान अवसरों का उपभोग कर सकेंगे।

(ख) प्रत्येक घटक के लिये विचार और उसकी अभिव्यक्ति, समाज गठन तथा पूजापद्धति के पूर्ण स्वातंत्र्य का आश्वासन देना, परंतु यह सब राष्ट्रहित के प्रतिकूल न हो।

(ग) भारत को सैनिक दृष्टि से सुदृढ़ एवं सुरक्षा विषय से आत्मनिर्भर बनाना।

(घ) आर्य नारी के दैवी आदर्श को समुन्नत करना और उन तथा शिशुओं की सुरक्षा, सुशिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षणार्थ आश्रम स्थापन करना।

(ङ.) भारत को राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक एबं भौतिक दृष्टि से बलवान तथा आत्मनिर्भर बनाना।

(च) अर्थ वितरण में घोर विषमताओं को मिटाना, प्रत्येक राष्ट्रीय (नागरिक) को जीवनयापन के सम्मानित स्तर–प्राप्ति का आश्वासन देना और देश की अर्थव्यवस्था में श्रमिकों एवं कृषकों को उचित स्थान प्रदान द्वारा

वर्गविद्वेष के स्थान पर वर्गसमन्वय स्थापित करना।

(छ) हिन्दू समाज से च्युत व्यक्तियों का पुनरावर्तन और अन्यों का इसमें स्वागत।

(ज) गोरक्षण को प्रोत्साहित और गोहत्या का विरोध करना।

(झ) संस्कृत–निष्ठ हिन्दी को राष्ट्रभाषा और देवनागरी को राष्ट्रलिपि के रूप में प्रस्थापित कराना तथा क्षेत्रीय भाषाओं को यथोचित सम्मान देना।

(ञ) राष्ट्रीय एवं अंतर–राष्ट्रीय शान्ति तथा समुन्नति को दृष्टिगोचर रखते हुए अन्य राष्ट्रों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना।

(ट) तथाकथित अनुसूचित जातियों तथा परिगणित एवं पिछड़े वर्गों को आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक परिस्थितियों को समुन्नत करना ताकि वे शीघ्रतिशीघ्र शेष राष्ट्रीय घटकों के समान स्तर पर पहुंच सकें।

(ठ) हिन्दू महासभा. की कार्यकारिणी द्वारा समय–समय पर निश्चित कार्यक्रमों के अनुसार सर्वहितैषी, सामाजिक, शैक्षणिक एवं धर्मार्थ कार्यकलापों को सम्पन्न करना, उक्त उद्देश्यों के पूर्त्यध सम्पत्तियों, भवनों तथा अन्य प्रकार की परिसम्पतियों का क्रय–विक्रय करना, दान में प्राप्त करना अथवा अन्य रीतियों से प्राप्त धन का उचित प्रबंध करना।

(ड) विदेश निवासी तथा प्रवासी हिन्दुओं के साथ सांस्कृतिक संबंध स्थापित करना और विश्वभर में हिन्दुत्व के प्रचांरकार्य को विस्तृत करना।

(ढ) अपने ध्येय से पूर्णतः अथवा अंशतरू समान लक्ष्य रखने वाली संस्थाओं, संगठनों अथवा सभाओं को आत्मसात करना अथवा स्थापित करना और समय–समय पर, अपने निर्धारित उद्देश्यों के पूर्त्यर्थ उचित कार्यक्रम बनाना।

5. सदस्यता

(क) प्राथमिक सदस्य

18 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु का प्रत्येक हिन्दू जो लिखित रूप से हिन्दू महासभा के उद्देश्य तथा ध्येय को स्वीकार करें, दस रुपया प्रति दो वर्ष दे देने पर हिन्दू महासभा का प्राथमिक सदस्य बनने का अधिकारी है। वह व्यक्ति जो सिन्धु नदी से सिन्ध सागर तक विस्तृत भारतवर्ष के इस पवित्र भूखण्ड को पितृभूमि तथा पवित्रभूमि स्वीकार करता हो और भारत में प्रादूर्भूत किसी धर्म का अनुयायी हो, वह हिन्दू है।

आसिन्धुसिन्धुपर्यन्ता यस्य भारतभूमिका।
पितृभूः पुण्यभूश्चैच्व स वै हिन्दूरिति स्मृतः।।

(ख) आजीवन सदस्य

एक व्यक्ति जो हिंदू महासभा के ध्येयों और उद्देश्यों से सहमत है और

अखिल भारत हिन्दू महासभा को अपने चंदे के तौर पर कुल 2100.00 रुपये देता है, और जिसकी हिन्दू महासभा की कार्यसमिति पुष्टि करती है, वह हिन्दू महासभा का आजीवन सदस्य समझा जाएगा। इस प्रकार निर्वाचित आजीवन सदस्य को वे सभी अधिकार, विशेषाधिकार, घोर उत्तरदायित्व प्राप्त होंगे जो सर्वसाधारण प्राथमिक सदस्य को किसी भी स्थिति में संगठन में कहीं भी प्राप्त है। तथापि किसी ऐसी स्थिति के लिये निर्धारित अतिरिक्त शुल्क उसने देना हो।

(ग) सक्रिय सदस्य

हिन्दू महासभा का एक प्राथमिक सदस्य जो 21 वर्ष अथवा इससे अधिक का हो, गत दो वर्षों से निरंतर प्राथमिक सदस्य रहा हो, 250.00 रुपया, (द्विवार्षिक) अतिरिक्त शुल्क दें और निम्नांकित में किन्हीं दो शर्तों को पूरा करता हो, सक्रिय सदस्य अंकित हो सकेगा–

1. हिन्दू महासभा के कोष के लिए अपने पास से 250.00 रुपये (द्विवार्षिक) प्रदान करे।
2. प्रतिवर्ष न्यूनातिन्यून 25 सदस्य बनायें।
3. घर में गौ रखे।
4. हिन्दू विचारधारा पर मौलिक तथा अनुमोदित साहित्य का सृजन करे।
5. हिन्दू महासभा के लिये कारागार में गया हो।
6. शुद्धि क्षेत्र में काम करता हो।
7. हिन्दू महासभा के लिये प्रतिमास न्यूनातिन्यून 20 घण्टे अर्पण करता हो।

सक्रिय सदस्यता तभी तक चालू रहेगी जब तक कि वार्षिक शुल्क दिया जाता रहेगा और दूसरी निर्धारित शर्तें पूरी होती रहेंगी। केवल सक्रिय सदस्य ही हिन्दू महासभा और इसकी शाखाओं के अधिकारी वर्ग के चुनाव में प्रत्याशी रूप में खड़े हो सकेंगे।

6. सदस्यों का रजिस्टर

हिन्दू महासभा की प्रत्येक इकाई प्राथमिक तथा सक्रिय सदस्यों के स्थायी रजिस्टर रखेगी और राज्य सभाएं अपने सक्रिय सदस्यों की सूची हिन्दू महासभा के केंद्रीय कार्यालय को भेजेगी और साथ ही उक्त सूची में होने वाले परिवर्तनों से भी सूचित करती रहेगी।

7. संघटक–तत्व

हिन्दू महासभा में निम्नांकित सभाएं तथा समितियां सम्मिलित होंगी–

1. ग्राम या नगर हिन्दू सभाएं,
2. विधानसभा क्षेत्र हिन्दू सभाएं,
3. जनपद (जिला) या महानगर हिन्दू सभाएं,

4. प्रदेश (राज्य) हिन्दू सभाएं,
5. केंद्रीय (अखिल भारत) महासमिति,
6. केंद्रीय (अखिल भारत) कार्यकारिणी समिति।

8. इकाइयों (Units) का निर्माण

हिन्दू महासभा के संघटक–तत्व निम्न प्रकार होंगे–

(क) ग्राम और नगर हिन्दू सभाएं

किसी ग्राम अथवा ग्रामों में रहने वाले चालीस अथवा अधिक व्यक्ति ग्राम हिन्दूसभा बना सकते हैं। चालीस अथवा अधिक सज्जन जो नगर में रहते हों, नगर हिन्दूसभा का निर्माण कर सकते हैं। एक नगर में विविध शाखा सभाएं हो सकती है। नगर सभा, जिसमें शाखा सभाएं हो शाखा सभाओं के प्रतिनिधियों से निर्मित होगी।

(ख) विधानसभा क्षेत्र हिन्दू सभाएं।

विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम अथवा नगर सभाओं के सदस्यों का बीसवां अंश विधानसभा क्षेत्रीय हिन्दूसभा का निर्माण कर सकेगा, परंतु सदस्यों की संख्या पन्द्रह से कम न हो और इसमें न्यनातिन्यून तीन ग्राम अथवा नगर सभाओं के प्रतिनिधि सम्मिलित हों ।

(ग) जनपद (जिला) या महानगर हिन्दूसभाएं

एक विधानसभा क्षेत्र में स्थित एकं जनपद अथवा महानगर सभाओं के सदस्यों का पांचवां अंश जनपद अथवा महानगर हिन्दूसभा का निर्माण कर सकेगा।

यदि उनकी संख्या बीस से कम न हो और उसमें न्यूनातिन्यून तीन विधानसभा क्षेत्र हिन्दूसभाओं के सदस्य सम्मिलित हों।

(घ) प्रदेश (राज्य) हिन्दू सभाएं

(i) (क) हिन्दू महासभा संगठन में निम्नांकित प्रदेश (राज्य) सम्मिलित होंगे।

1. आन्ध्र प्रदेश
2. आसाम
3. मेघालय
4. मणिपुर
5. नागालैंड
6. अरुणाचल प्रदेश
7. त्रिपुरा
8. मिजोरम
9. उड़ीसा
10. उत्तर प्रदेश
11. पुडुचेरी
12. मध्य प्रदेश
13. महाराष्ट्र
14. गोवा
15. राजस्थान
16. सिन्ध
17. हरियाणा
18. हिमाचल प्रदेश
19. तेलंगाना
20. उत्तराखंड

21. जम्मू और कश्मीर
22. तमिलनाडु
23. दिल्ली
24. पंजाब
25. कर्नाटक
26. बिहार
27. झारखंड
28. छतीसगढ़
29. चंडीगढ़
30. लद्दाख
31. बंगाल मय अण्डेमान और निकोबार द्वीप
32. केरल मय लकदिव मिनिकाय, अमीनविव द्वीप
33. गुजरात मय दमन और दिव और नगर हवेली

(ख) अखिल भारत हिन्दू महासभा की केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति को अधिकार होगा कि वह हिन्दूसभा प्रदेशों की सीमाओं में परिवर्तन करे, नवीन प्रदेशों का सृजन करे या एक प्रदेश को तत्तत् प्रदेश (राज्य) सभा की अनुमति प्राप्त करके, दूसरे प्रदेश में विलीन करे।

(ii) प्रान्तीय (प्रदेश) हिन्दूसभाओं के संबंध में नियम

(क) समस्त इकाइयों की पूंजी अथवा सम्पत्ति के नियन्त्रण प्रबंध के विषय में अखिल भारत हिन्दू महासभा की सामर्थ्य तथा अधिकारों को प्रतिकूलता न होने पर साधारणः प्रत्येक हिन्दूसभा व्यक्तिगत रूप से परस्पर व्यवहार के लिए एक स्वतंत्र इकाई समझी जाएगी और प्रत्येक सभा अपना पृथक हिसाब रखेगी जिसका निरीक्षण प्रत्येक प्रदेश सभा द्वारा अपने अधीनस्थ शाखाओं के प्रबंधक निर्मित नियमावली के अनुसार निर्वाचित अपनी–अपनी कार्यकारिणी सभा द्वारा सम्पन्न हुआ करेगा। कोई एकाकी व्यक्ति कोई सदस्य अथवा अधिकारी वर्ग जो निज कार्य समिति द्वारा अधिकार प्राप्त होंगे, न्मायालयों अथवा एतादृश अन्य स्थानों में अपनी–अपनी सभाओं का प्रतिनिधित्व कर सकेंगे। अखिल भारत हिन्दूमहासभा अपने स्वत्व एवं अधिकारों, जिनमें किसी सभा का निलम्बन अथवा विसर्जन भी सम्मिलित है, को सुरक्षित रखते हुए केवल प्रबंध की सुविधा के लिए अपनी अधिकार शक्ति विविध सभाओं को देती है जैसा कि नियम संख्या 13 में वर्णित है।

(ख) प्रत्येक प्रदेश (राज्य) हिन्दूसभा जनपद (जिला) तथा अन्य सभाओं का गठन करेगी, संगठनार्थ उचित संविधान का सृजन करेगी, कार्यवाही संचालनार्थ नियमोपनियम बनायेगी, परंतु यह किसी भी दशा में अखिल भारत हिन्दू महासभा के संविधान अथवा केंद्रीय महासमिति द्वारा निर्मित नियमोपनियमों के विरुद्ध नहीं होंगे। ये नियमोपनियम एवं संविधान जो प्रादेशिक सभाओं द्वारा निर्मित किये जावेंगे अखिल भारत हिन्दू

महासभा की कार्यकारिणी की स्वीकृति की अपेक्षा रखेंगे । कोई विशेष नियमावली न होने की दशा में इस संविधान में वर्णित नियम ही लागू होंगे।

(ग) प्रत्येक प्रदेश हिन्दूसभा साधारणतरू फरवरी मास के अन्त में वर्ष भर का अपना कार्यकलाप तथा हिसाब आयं–व्यय एवं सम्पत्ति का ब्योरा विवरण के साथ अखिल भारत हिन्दू महासभा को भेजेगा।

(घ) अखिल भारतहिन्दू महासभा की कार्यकारिणी सभा की स्वीकृति के बगैर कोई प्रदेश (राज्य) हिन्दूसभा अपने किसी सदस्य को दो वर्ष से अधिक की अवधि के लिए नहीं निकाल सकेगी।
परंतु प्रदेश सभा की कार्यकारिणी के सदस्य की स्थिति में उसे निकालने के लिए अखिल भारत हिन्दू महासभा की कार्यकारिणी सभा की अग्रिम अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(ङ.) हिन्दू महासभा का एक घटक दूसरे घटक के आर्थिक ऋण के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। हिन्दू महासभा और इसके अंतर्गत समस्त हिन्दूसभाएं अपने–अपने लेन–देन की स्वयं उत्तरदायी होंगी।

(च) अखिल भारत हिन्दू महासभा के नई दिल्ली में मंदिर मार्ग स्थित सम्पत्ति संबंधी मामलों में तथा अपने द्वारा दिल्ली में या बाहर सीधे अपने ही नाम से खरीदी गई सम्पत्ति के बारे में जिसकी उसके नाम से हुई हो, उनका वहन करेगी।

(छ) प्रत्येक प्रदेश (राज्य) मे एक ही प्रदेश हिंदूसभा होगी। इसमें जनपद (जिला) अथवा महानगर की हिन्दूसभाओं के प्रतिनिधि अपने प्राथमिक सदस्यों की संख्या के अनुपात में लिए जायेंगे, मगर प्रत्येक जनपद अथवा महानगर का कम से कम एक प्रतिनिधि इसमें अवश्य होगा। इस अवसर पर सदस्यता की संख्या अपेक्षित नहीं होगी। उपरिलिखित निर्णीत संख्या के अतिरिक्त प्रदेश (राज्य) सभाएं बीस तथा अन्य सदस्यों को अपने में सम्मिलित कर सकेंगी। कुल संख्या दो सौ पचास अधिक न हों।

(ज) प्रान्तीय सभा की कार्यकारिणी समिति में सदस्य संख्या चालीस से अधिक नहीं होगी।

(झ) अखिल भारत हिन्दू महासभा की कार्यकारिणी समिति द्वारा किसी प्रदेश (राज्य) हिन्दूसभा को अपने में सम्मिलित करने अथवा पूर्व सम्बंध के नवीनीकरण से पूर्व प्रत्येक प्रदेश (राज्य) हिन्दूसभा के एक हजार सदस्य होना अनिवार्य है।

(ञ) प्रदेश हिन्दूसभा के अध्यक्ष या महामंत्री के हस्ताक्षरों से युक्त प्रमाण–पत्र

अखिल भारत समिति के सदस्यों की सूची के साथ होगा जिसमें कम से कम दो जिला सभाओं के सदस्यों की रसीदों की अधकटियों की संपुष्टि होगी।

प्रधान कार्यालय जब आवश्यक समझेगा अधिकटिया मांग सकेगा और अंतर होने की स्थिति में विभिन्न प्रदेश हिन्दूसभा के प्रधान के शब्द ही अंतिम माने जाएंगे।

(च) अखिल भारत हिन्दू महासभा की केंद्रीय महासमिति :–

अखिल भारत हिन्दू महासभा की केन्द्रीय महासमिति निम्न रीति से निर्मित होगी

(i) प्रधान, कार्यकारी प्रधान यदि कोई हो। अखिल भारत हिन्दू महासभा के समस्त पूर्व प्रधान एवं पूर्व कार्यकारी प्रधान और उपाध्यक्ष जो निरंतर प्राथमिक सदस्य चले आ रहे हों, अखिल भारत समिति के ये सदस्य संबद्ध प्रदेश हिन्दूसभाओं से अतिरिक्त होंगे।

(ii) पूर्व वर्ष का पदाधिकारी वर्ग,

(iii) प्रत्येक प्रदेश (राज्य) सभा द्वारा, अपने सदस्यों में से, साधारण सभा में विधिवत विषयसूचि निकालकर फरवरी के अन्त तक, निम्नांकित परिणाम से निर्वाचित सदस्य प्रत्येक प्रदेश (राज्य) से पांच स द स्‍ य , सदस्य संख्या चाहे कितनी हो। प्रति 3000 प्राथमिक सदस्यों के पीछे 10 सदस्य।

3000 से अधिक सदस्यता की स्थिति में प्रति 500 के लिए एक सदस्य प्रत्येक प्रदेश के सदस्यों की संख्या अधिकाधिक पचास होगी।

(iv) एक हिन्दूसभा का सदस्य अन्य प्रदेश हिन्दूसभा से अखिल भारत समिति का सदस्य न चुना जाएगा। जब तक उसका निवास या अचल संपत्ति, या व्यवसाय उस विशिष्ट प्रदेश में न हों।

(1) हिन्दू महासभा संगठन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभ का कोई पद प्राप्त सदस्य, उदाहरणतः कोई भी कर्मचारी अथवा ऐसा कोई व्यक्ति जो अखिल भारत हिन्दू महासभा के प्रत्यक्ष नियंत्रण वाले किसी संगठन से वेतन पाता हो, वह अखिल भारत समिति का सदस्य चुने जाने का अधिकारी न होगा।

किसी व्यक्ति को अखिल भारत हिन्दू महासभा द्वारा अदा किया मानधन को इस मामले से छूट दी जाएगी।

(vi) इस संविधान की धारा 11 के अनुसार संबंधित शुल्क के साथ प्रतिवर्ष 15 मार्च तक प्रत्येक प्रदेश सभा को अपने उपरिलिखित प्रतिनिधि सदस्यों की सूची अखिल भारत हिन्दू महासभा के मंदिर मार्ग नई

दिल्ली स्थित केन्द्रीय कार्यालय में अनिवार्य रूप से भेजनी होगी।

(छ) अखिल भारत हिन्दू महासभा की केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति

अखिल भारत हिन्दू महासभा की केंद्रीय कार्यकारिणी समिति निम्न विधि से बनाई जाएगी :–

(i) राष्ट्रीय अधिवेशन का अध्यक्ष

(ii) राष्ट्रीय अधिवेशन के शीघ्र बाद हिन्दू महासभा की केंद्रीय महासमिति द्वारा तीन वर्ष के लिए निर्वाचित पदाधिकारी वर्ग

(iii) केन्द्रीय महासमिति के सदस्यों में से निर्वाचित 25 प्रतिनिधि,

(iv) हिन्दू महासभा के सदस्यगण में से प्रधान द्वारा मनोनीत पांच सदस्य जो कि पदेन महासमिति के सभासद समझे जायेंगे।

(v) यदि ऐसा कोई भी सदस्य जो भारत के किसी अन्य राजनीतिक दल का सदस्य हो तो उसे धारा 24 के अनुसार कार्य समिति का सदस्य या पदाधिकारी निर्वाचित अथवा नामांकित न किया जा सकेगा। गैर राजनीतिक अथवा धार्मिक संगठन–की सदस्यता को अनुमति होगी।

(vi) हिन्दू महासभा की कार्यकारिणी के प्रत्येक सदस्य को इस समिति को 250 रुपए शुल्क देना होगा। जब तक उक्त राशि न दी जाए तब तक वह सदस्य कार्यकारिणी सभा की बैठक में भाग लेने का अधिकारी नहीं होगा।

9. पदाधिकारी वर्ग

हिन्दू महासभा के निम्न पदाधिकारी होंगे–

1 **(क)** राष्ट्रीय अधिवेशन का अध्यक्ष, पदेन

(ख) कार्यकारी प्रधान (यदि कोई नियुक्त हो)

(ग) उपाध्यक्ष पांच की संख्या तक,

(घ) तीन मंत्री

(i) प्रधानमंत्री

(ii) संगठन मंत्री

(iii) कार्यालय मंत्री

(ङ) क्षेत्रीय सचिव – पांच

(च) कोषाध्यक्ष

2. पदाधिकारी तब तक कार्य करते रहेंगे जब तक कि उनके स्थानापन्न महानुभाव कार्य न संभाल लें।

3. अध्यक्ष समूचे संगठन का सर्वोच्च मुखिया होगा। प्रधानमंत्री अध्यक्ष के सामान्य शासन में संगठन का मुख्य शासक होगा और कोषाध्यक्ष महासभा की धनराशि का संरक्षक होगा।

10. आर्थिक वर्ष

हिन्दू महासभा का आर्थिक वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक परिगणित होगा।

11. सदस्यता शुल्क का वितरण

(क) हिन्दू महासभा का सदस्यता शुल्क विविध सभाओं में निम्न प्रकार से वितरित होगा।

(i) (1) अखिल भारत हिन्दू महासभा	40 प्रतिशत
(2) प्रांतीय हिन्दूसभा	15 प्रतिशत
(3) जनपद अथवा महानगर हिन्द् सभा	15 प्रतिशत
(4) ग्राम अथवा नगर हिन्दू सभा	30 प्रतिशत

(ii) सक्रिय सदस्यों द्वारा संगृहीत दानराशि तथा उनका शुल्क निम्न प्रकार विभाजित होगा–

30 प्रतिशत संबद्ध इकाई को

15 प्रतिशत जनपद अथवा महानगर सभा को

15 प्रतिशत प्रदेश सभा को

40 प्रतिशत अखिल भारत हिन्दू महासभा को

(ख) सदस्य जो महासमिति के लिए निर्वाचित होगा, उक्त महासमिति को 250.00 रुपये वार्षिक शुल्क देगा। जब तक उक्त धनराशि न दी जाए तब तक सदस्य को महासमिति अथवा विषय निर्धारिणी समिति की कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा।

12. अखिल भारत हिन्दू महासभा की महासमिति के अधिकार एवं कर्तव्य

अखिल भारत हिन्दू महासभा की महासमिति के निम्न अधिकार तथा कर्तव्य होंगे :–

(क) नियमित रूप से हिसाब निरीक्षक द्वारा पड़ताल कराने के बाद कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृत लेखा–जोखा पास करना।

(ख) सामान्यतः नीति निर्धारित करना, चालू समस्याओं पर जो कि कार्यकारिणी सभा इसके समक्ष उपस्थित करें, प्रस्ताव पारित करना अथवा जिन विषयों की पूर्व सूचना किसी सदस्य ने बैठक से 7 दिन पहले दे रखी हो ।

(ग) प्रधानमंत्री द्वार प्रस्तुत वर्ष भर की कार्यवाही का विवरण स्वीकार करना।

(घ) अपनी सदस्य संख्या में आकस्मिक रूप से होने वाले रिक्त स्थानों की पूर्ति, तत्तत् प्रदेश के सदस्यों में से, उस प्रदेश सभा को सिफारिश पर

जहां से स्थान खाली करने वाला सभासद निर्वाचित हुआ था, करना अथवा प्रदेश से उक्त अनुरोध के अभाव में अपने प्रस्ताव द्वारा किसी सदस्य को निर्वाचित कर लेना।

(ड.) हिन्दू महासभा के समस्त अधिकारों एवं कर्तव्यों का व्यवहार करना जिसमें संविधान का संशोधन भी सम्मिलित है।

13. राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के अधिकार तथा कर्तव्य

(i) अखिल भारत हिन्दू महासभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के निम्न अधिकार तथा कर्तव्य होंगे–

(क) हिन्दू महासभा के उद्देश्य तथा ध्येयों को कार्यान्वित करने के लिए हर प्रकार के उचित पग उठाना ।

(ख) चालू समस्याओं पर विचार–विमर्श करके उचित प्रस्ताव पारित करना सामान्य नीति के संबंध में महासमिति के पास सिफारिश करना और वार्षिक अधिवेशन एवं महासमिति द्वारा स्वीकृत प्रस्तावों को कार्यान्वित करना ।

(ग) धनसंग्रह करना, इसे लाभार्थ लगाना, ऋण उठाना, चलाचल सम्पत्ति की उपलब्धि, सम्भाल, विक्रय करना, बंधक रखना अथवा लम्बी अवधि के लिए भाड़े पर देना, हिन्दू महासभा की ओर से और इसके उद्देश्य पूर्ति के लिए आवश्यक कागज पत्रों पर हस्ताक्षर करना परंतु सम्पत्ति को विक्रय करने, बंधक रखने, लम्बी अवधि के लिए भाड़े पर चढ़ाना या अन्य प्रकार से व्यवहार का अधिकार मंदिर मार्ग, नई दिल्ली स्थित हिन्दू महासभा भवन के संबंध में लागू नहीं होगा, क्योंकि यह तो अखिल भारत हिन्दू महासभा की ओर से कार्यकारिणी के पास उसकी कार्यावधि के लिए धरोहर के रूप में सम्भालना है।

(घ) कार्यकर्ताओं की नियुक्ति, उनके वेतन तथा पारिश्रमिक का निर्धारण करना।

(ड़) पदाधिकारी वर्ग के अधिकारों तथा कर्तव्यों के संबंध में नियमोपनियमों का निर्माण करना।

(च) वार्षिक आय–व्यय का आनुमानिक लेखा पास करना।

(छ) अपने अधीनस्थ समस्त संगठनों के कार्यकलाप का निर्देशन, शासन तथा निरीक्षण क्ररना, आवश्यक समझने पर उन्हें अपने साथ मिलाना, हटाना या निलंबित करना।

(ज) जिन प्रदेशों में वर्तमान संगठन सिद्धिपूर्वक कार्य न कर रहे हों, अथवा जिन प्रदेशों में ऐसे संगठन विद्यमान ही न हों, वह ad-hoc (तदर्थ समितियां) नियुक्त करना।

(झ) अपने सदस्यों और अधिकारी वर्ग के रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। यदि किसी सदस्य का निधन हो या उसने त्याग पत्र दिया हो अथवा पूर्व सूचना के बिना तीन कार्यसमिति में बैठकों में वह उपस्थित न रहे, तो उसका सदस्यत्व समाप्त किया जा सकेगा। तथापि जब तक संबद्ध सदस्य को पंजीकृत पत्र से सूचना प्रेषित न की जाएगी तब तक उसका सदस्यत्व रद्द न समझा जाएगा।

(ञ) प्रदेश हिन्दूसभाओं के विवादों को निपटाना और प्रदेश हिन्दू सभाओं के निर्णय के विरुद्ध अपीलें सुनना और उसका निर्णय करना।

(ट) हिन्दू महासभा के सदस्यों के विरुद्ध उपयुक्त अन्वेषणानन्तर उन्हें अपनी स्थिति व्यक्त करने का अवसर प्रदान करने के बाद, अनुशासनात्मक कार्यवाही करना।

(ठ) वार्षिक अधिवेशन की निश्चित तिथियों में उपयुक्त फेर–बदल करना (संविधान में निर्णीत तिथियों से बारह मास से अधिक नहीं) इससे अतिरिक्त समस्त चुनावों की तारीखों में परिवर्तन करना और सदस्यताभियान की अंतिम तिथि को निर्धारित करना।

(ड) समस्त विषयों, जिनका उल्लेख संविधान में नहीं है, के संबंध में नियमों का निर्माण करना, परंतु वह संविधान के विरुद्ध न हों।

(ii) जब कार्यकारिणी समिति का सत्र न चल रहा हो तब अध्यक्ष महोदय उक्त समस्त अधिकारों का प्रयोग कर सकेंगे।

(iii) अखिल भारत हिन्दू महासभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति का कार्यकाल तीन वर्षों का होगा। राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति का कार्यकाल एक और वर्ष के लिये बढ़ाया जा सकता है।

14. कार्यपद्धति संबंधी नियम

(क) प्रधान, कार्यकर्ता प्रधान (यदि कोई हो) या दोनों की अनुपस्थिति में उपस्थित उपप्रधानों में से कोई एक महासमिति अथवा कार्यकारिणी समिति के अधिवेशनों की अध्यक्षता करेगा। इन सब की अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्य अपने मध्य में से किसी एक को प्रधानत्व के लिए चुन लेंगे।

(ख) कार्यकारिणी के उपस्थित सदस्यों के अतिरिक्त अखिल भारत हिन्दू महासभा के अधिवेशनों का कोरम (निर्दिष्ट संख्या) दसका होगा, इसमें कम से कम तीन प्रदेशें के प्रतिनिधि होंगे।

(ग) कार्यकारिणी के अधिवेशनों का कोरम सात का होगा जिसमें पदाधिकारी वर्ग के अतिरिक्त अन्य तीन सदस्यों का होना आवश्यक होगा।

(घ) यदि निर्दिष्ट संख्या के अभाव के कारण महासमिति का अथवा कार्यकारिणी समिति का कोई अधिवेशन नहीं हो सकेगा तो नवीन बैठक के लिये पूर्व कार्यक्रम का उल्लेख करके सूचना प्रसारित की जाएगी जिसमें कोरम (निदिष्ट व संख्या) का होना आवश्यक नहीं होगा।

(ड़) अखिल भारत महा समिति की उस बैठक के अतिरिक्त जो सामन्यतः अधिवेशन के अवसर पर पदाधिकारियों के चयन के लिये ली जाती है, अखिल भारत समिति की एक और बैठक कार्यसमिति द्वारा देश की राजनीतिक स्थिति और हिन्दू महासभा की नीतियों परविचारार्थ आयोजित की जाएगी।

(च) महासमिति की बैठक के अतिरिक्त सामान्य साधारण बैठकों के लिए निर्दिष्ट तिथि से पंद्रह दिन पूर्व सूचना देनी होगी। कार्यकारिणी सभा की सामान्य साधारण बैठक के लिए निर्दिष्ट तिथि से दस दिन पूर्व का नोटिस आवश्यक होगा।

(छ) बैठकों के नोटिस राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार प्रसारित किए जायेंगे जिसमें स्थान, तारीख, बैठकों का समय और विचारणीय विषयों का उल्लेख होगा।

(ज) महासमिति अथवा कार्यकारिणी सभा के आवश्यक अधिवेशन राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेशानुसार क्रमशः पूरे सात और तीन दिनों के नोटिस से बुलाये जा सकेंगे।

(झ) महांसमिति तथा कार्यकारिणी द्वारा पारित प्रस्तावों की प्रतिलिपि उक्त समितियों के सदस्यों को उपयुक्त समय में नई दिल्ली स्थित केन्द्रीय कार्यालय द्वारा उपलब्ध करानी होगी। ।

(ञ) महासमिति के समस्त निर्णय, संविधान में संशोधन के अतिरिक्त उपस्थित की बहुसंख्या की सम्मति से होंगे, जब कि संशोधन निर्णय के लिये 25 अथवा दो तिहाई सदस्यों की बहुसंख्या, जो भी कम हो आवश्यक होगी।

कार्यकारिणी सभा के निश्चय प्रशासनात्मक कार्यवाही के निर्णयों के अतिरिक्त उपस्थित सदस्यों की बहुसंख्या से होंगे, जबकि प्रशांसनात्मक निर्णयों के लिए उपस्थित सदस्यों को तीन–चौथाई की बहुसंख्या वांछनीय होगी।

15. हिन्दू महासभा का हिसाब–किताब

हिन्दू महासभा के हिसाब–किताब की जांच प्रतिवर्ष हुआ करेगी।

16. महासभा के अधिवेशन।

(क) हिन्दू महासभा के वार्षिक अधिवेशन साधारणतः मार्च मास में ऐसे स्थान

पर, जिसका निर्णय गत अधिवेशन में हुआ हो अथवा ऐसे किसी निर्णय के अभाव में अखिल भारत हिन्दू महासभा की केन्द्रीय कार्यकारिणी को ऐसा निर्णय करने का अधिकार होगा।

(ख) अखिल भारत हिन्दू महासभा की कार्यकारिणी सभा जब उपयुक्त समझे, विशेष अधिवेशन बुला सकेगी।

17. स्वागत समिति।

(क) जहां कार्यकारिणी समिति अधिवेशन करने का निर्णय ले उस प्रदेश की हिन्दूसभा अधिवेशन के लिए स्वागत समिति का गठन करेगी।

(ख) जिस प्रदेश में अधिवेशन होने जा रहा हो वहां की प्रदेश हिन्दू सभा वार्षिक सम्मेलन से न्यूनातिन्यून चार मास पूर्व स्वागत समिति को संगठित करेगी और इसमें वे सज्जन भी लिए जा सकेंगे जो कि हिन्दू संभा के संगठन में नहीं होंगे। स्वागत समिति का प्रत्येक सदस्य कम से कम 250.00 रुपये शुल्क देगा।

(ग) स्वागत समिति अपने संदस्यों में से अध्यक्ष तथा अन्य, पदाधिकारी वर्ग का चुनाव करेगी, परंतु अध्यक्ष या प्रधानमंत्री किसी ऐसे सज्जन को निर्वाचित नहीं किया जाएगा, जो कि हिन्दू महासभा का सदस्य न हो ।

18. स्वागत समिति के कर्तव्य।

(क) अधिवेशन के सफलतापूर्वक सम्पादन का प्रबंध, एतदर्थ धनसंग्रह धारा 19 में निर्दिष्ट विधिनुसार अधिवेशन के लिए अध्यक्ष का चुनाव अधिवेशन का हर प्रकार की संपन्नता के लिए प्रबंध, प्रतिनिधियों, अतिथियों और दर्शकों के यथासंभव स्वागत एवं आवास का इंतजाम करना–ये स्वागत समिति के कर्तव्य होंगे।

(ख) अधिवेशन की सम्पन्नता के तीन मास भीतर स्वागत समिति अनिवार्य रूप से अधिवेशन की कार्यवाही की रिपोर्ट तथा आय–व्यय का ब्यौरा हिन्दू महासभा की कार्यकारिणी समिति को भेजेगी। शेष धन का अर्धांश हिन्दू महासभा की महासमिति को और अर्द्धांश उस प्रदेश हिन्दू महासभा को जहां अधिवेशन संपन्न हुआ, जाएगा।

19. प्रधान के निर्वाचन की पद्धति

(क) स्वागत समिति सामान्यतः अधिवेशन की तिथि 90 दिन पूर्व विभिन्न प्रदेश हिन्दू सभाओं को यह सूचित करेगी कि वे एक पखवारे के अंदर अधिकतम ऐसे तीन व्यक्तियों के नाम भेजें जो उनके मत में अधवेशन की अध्यक्षता हेतु चुने जा सकते हों।

इस प्रकार सुझाए गए सभी व्यक्तिओं को सब नामों की पूर्ण सूची स्वागत समिति की ओर से पंजीकृत डाक द्वारा भेजी जाएगी। नाम वापसी लेने

को अथवा चुनाव लड़ने को सहमत व्यक्ति स्वागत समिति को अधिवेशन की तिथि से 60 दिन पूर्व अपने निर्णय की सूचना देंगे। निश्चित तिथि स्वागत समिति के द्वारा उनको सूचित की जाएगी। जो व्यक्ति चुनाव लड़ने संबंधी अपनी सहमति की संपुष्टि न करेंगे उनके संबंध में यह समझा जाएगा कि उन्होंने अपना नाम वापिस ले लिया है। स्वागत समिति के द्वारा अधिवेशन की तिथि से 60 दिन पूर्व सभी प्रदेश हिन्दू सभाओं को चुनाव लड़ने वाले व्यक्तियों के नामों की सूची भेजी जाएगी। प्रत्येक प्रदेश हिन्दू सभा अधिवेशन की तिथि के 40 दिन पूर्व इन नामों में से किसी एक नाम की अंतिम रूप से सिफारिश करेगी। ऐसी सिफारिश पर विचार करने के लिए स्वागत समिति की बैठक अधिवेशन के 40 दिन पूर्व होगी प्रदेशों के बहुमत और स्वागत समिति, जिसका एक मत, द्वारा अनुशासित व्यक्ति आगामी अधिवेशन का अध्यक्ष घोषित किया जाएगा। यदि मत समान–समान हों तो स्वागत समिति को निर्णायक मत देने का अधिकार होगा। किन्तु इस प्रकार निर्वाचित अध्यक्ष के चुनाव की वैधता के मामले में विवाद उत्पन्न होने पर यह मामला तुरन्त अखिल भारत हिन्दू महासभा की कार्यकारिणी के समक्ष भेजा जाएगा जिसका निर्णय अंतिम होगा।

यदि अध्यक्ष यह समझेगा कि प्रथम दृष्टि से ही अनियमितता या चुनाव में दोष विद्यमान हैं तो वहीं कार्यसमिति की ऐसी बैठक बुला सकेगा। साथ ही यह भी आवश्यक हैं कि जो व्यक्ति अध्यक्ष चुना जाए वह उस प्रदेश का न हो जिसमें हिन्दू महासभा का अधिवेशन आयोजित हो रहा हो।

(ख) विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष का चुनाव हिन्दू महासभा की केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति करेगी।

20. प्रतिनिधियों का चुनाव

(**क**) प्रत्येक प्रदेश को उसी वर्ष भर्ती किए अपने प्राथमिक सदस्यों की संख्या में से 50 के पीछे 1 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार होगा प्रत्येक जनपद (जिला) हिन्दूसभा को प्रतिनिधियों में प्रतिनिधित्व प्राप्त होना चाहिए।

(ख) महासमिति के सदस्य पदेन प्रतिनिधि होंगे और 250.00 रुपया प्रतिनिधि शुल्क देंगे

(ग) प्रत्येक प्रदेश हिन्दू सभा अपने कार्य क्षेत्र के लिए प्रतिनिधियों के चुनाव के लिए नियम बनायेगी और स्वागत समिति को इन प्रतिनिधियों की पूर्ण सूची अकारादि क्रम से बनाकर, जिसमें प्रतिनिधि का पूरा नाम, व्यवसाय, आयु लिंग (स्त्री या पुरुष) और पता दर्ज हो, स्वागत समिति

को ऐसे समय पर भेजेगी जिससे कि यह सूची अधिवेशन की तिथियों से कम से कम सात दिन पहले स्वागत समिति को पहुंच जाए।

(घ) वार्षिक अधिवेशन के लिए निर्मित नियम विशेष अधिवेशन पर भी लागू होंगे।

(ड.) यदि समय पर यह सूची न भेजी जा सकी हो ते प्रधान महोदय को अधिकार होगा कि वे किसी प्रदेश के प्रतिनिधियों की सूची से पर्याप्त कारण होने पर सम्मिलित कर लें।

(च) जो व्यक्ति अखिल भारत हिन्दू महासभा का नियम 5 के अनुसार सभासद है वह अधिवेशन का प्रतिनिधि चुना जा सकता है।

21. प्रतिनिधि प्रमाण–पत्र

प्रत्येक प्रतिनिधि को चुनाव प्रमाण – पत्र जिस पर प्रदेश हिन्दू सभा के हस्ताक्षर हों, प्रस्तुत करने और 250.00 रुपया शुल्क रूप में भर देने पर एक पास प्राप्त होगा जिससे यह हिन्दू महासभा के वार्षिक अधिवेशन में प्रवेश का अधिकारी बन सकेगा। यह नियम विशेष अधिवेशन पर भी लागू होगा।

22. विषयनिर्धारिणी समिति

(क) अखिल भारत हिन्दू महासभा की महासमिति के सभासद और स्वागत समिति के सदस्यों का बीसवां भाग (परंतु यह संख्या किसी भी स्थिति में बीस से अधिक नहीं होगी) मिलकर विषयनिर्धारिणी समिति स्थापित करेंगे। प्रधान महोदय को विषयनिर्धारिणी समिति में दस तक सदस्य मनोनीत करने का अधिकार होगा।

(ख) वार्षिक अथवा विशेष अधिवेशन के मनोनीत प्रधान महोदय अपने निर्वाचन के शीघ्र बाद एक मार्गदर्शक (Steering) कमेटी नियुक्ति करेंगे, हिन्दू महासभा के मंत्रियों में से कोई एक इसका संयोजक होगा। यह मार्गदर्शक समिति विषयनिर्धारिणी समिति के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए प्रस्तावों की पाण्डुलिपि (खाका) तैयार करेगी।

(ग) अधिवेशन के उद्‌घाटन के पश्चात प्रधान महोदय विषयनिर्धारिणी समिति का अधिवेशन बुलायेंगे। इसके अधिवेशन आवश्यकतानुसार होते रहेंगे। वर्ष भर में सम्पन्न कार्यकलापों का विवरण प्रधान मंत्री विषयनिर्धारिणी समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। स्वागत समिति के ऐसे सदस्य जो हिन्दू महासभा के सभासद न हो, विवरण पर वादविवाद में भाग नहीं ले सकेंगे।

23. मतदान

(क) केवल प्रतिनिधि गण ही महासभा के अधिवेशन अथवा अन्य कार्यवाही में

भाग ले सकेंगे।

(ख) केवल उन्हीं प्रदेश हिन्दू सभाओं के प्रतिनिधि अधिवेशन की कार्रवाही में भाग ले सकेंगे जिन्होंने नियमपूर्वक प्रबंध शुल्क की राशि अखिल भारत हिन्दू महासभा को जमाकर दी होगी।

(ग) महासमिति के सदस्यों को और किसी ऐसी प्रदेश हिन्दू सभा के प्रतिनिधियों को महासमिति और अधिवेशन में भाग लेने से रोक दिया जायेगा, जिनकी ओर से अभिलषित संबद्ध शुल्क महासभा निधि में नहीं पहुंचा होगा ।

(घ) प्रस्तुत प्रस्ताव उपस्थित प्रतिनिधियों के बहुमत से पारित होंगे।

24. मिश्रित

(क) अखिल भारत हिन्दू महासभा का तात्पर्य है–ऑल इंडिया हिन्दू महासभा, ऑल इंडिया हिन्दू सभा अथवा हिन्दू महासभा जिन नामों से यह संस्था पहले समय समय पर विख्यात थी। इसके अपने संगठन और संपत्ति पर वही प्रमुख और स्वामित्व के अधिकार होंगे जो ऑल इंडिया हिन्दू महासभा या ऑल इंडिया हिन्दूसभा या हिन्दू महासभा को प्रप्त थे।

(ख) समस्त प्रश्नों अथवा विवादों, जो कि संविधान के अंतर्गत वर्णित कार्यपद्धति के कारण सदस्यों अथवा हिन्दू सभाओं में उत्पन्न होंगे, उससे उच्च इकाई द्वारा स्थिति होंगे। इन निर्णयों और अनुशासन की कार्यवाहियों के विरुद्ध पीड़ित व्यक्ति अथवा सभा की ओर से हिन्दू सभा के उच्चतम अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत की जा सकेंगी, परंतु उन उच्चाधिकारियों के निर्णयों को न्यायालयों में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। वे अंतिम और मानने योग्य होंगे, जब तक कि इस अपील पर हिन्दू महासभा की किसी उच्चतर संस्था की ओर से रोक न दिए गए हों। अ.भा. हिन्दू महासभा की चल–अचल संपत्ति से संबंधित तथा सभा संबंधित तथा सभा के विरुद्ध प्रत्येक वाद दिल्ली स्थित न्यायालय में ही किया जा सकेगा।

(ग) एक सदस्य अपने स्थायी निवास स्थान, अथवा जहाँ वह साधारणः अपना व्यवसाय–धंधा चलाता है से ही सदस्य बनाया जा सकगा। कोई सदस्य दो विविध इकाइयों का अथवा भारत के किसी अन्य राजनीतिक दल का सदस्य नहीं बन सकेगा।

इति।

प्रकाशक

राष्ट्रीय कार्यालय मंत्री

अखिल भारत हिन्दू महासभा

हिन्दू महासभा भवन, मन्दिर मार्ग, नई दिल्ली–110001

दूरभाष : 011–23365138, 23365354

E-mail : akhilbharathindumahasabhadelhi@gmail.com

Website : www.akhilbharathindumahasabha.net

मूल्य : 100.00 रूपये

मुद्रक : ओशी प्रिंट एण्ड पैक
स्वरूप नगर, दिल्ली–110042